न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

पीठासीन अधिकारी–मनोज कुमार(आर0ए0एस0)

अपील संख्या– 2012/454

gcms no- 2012/00109

मोहनलाल पिता हजारीलाल जाति मीणा निवासी ग्राम ढाबा तहसील दीगोद जिला कोटा(राज0)।

– अपीलांट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये भू–धारक तहसीलदार दीगोद तहसील दीगोद जिला कोटा(राज0)।

–रेस्पोडेन्ट

उपस्थित वक्त बहस–(1). घनश्याम नागर– अधिवक्ता अपीलांट
(2). पैरोकार सरकार– रेस्पोडेन्ट

निर्णय **दिनांक 03.02.2023**

1. अपीलांट द्वारा उक्त अपील अतंर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दीगोद जिला कोटा के प्रकरण संख्या 149/2007 मे पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 13.07.2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त मे इस प्रकार है कि वादी अपीलांट ने एक वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 इस आशय का प्रस्तुत किया कि मौजा ढाबा तहसील दीगोद की आराजी संख्या 791 रकबा 0.08 हैक्टेयर, आराजी संख्या 792 रकबा 0.47 हैक्टेयर, आराजी संख्या 793 रकबा 0.73 हैक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 1.

28 हैक्टेयर स्थित होकर दर्ज रेकॉर्ड है। उक्त वर्णित सम्पूर्ण आराजीयात की किस्म पूर्व मे राजस्व रेकॉर्ड मे बारानी तृतिय दर्ज थी। उक्त आराजीयात पर वादी अपीलांट का 50 वर्षो से कब्जा चला आ रहा है। वादी अपीलांट हमेशा से काश्त करता चला आ रहा है। वादी अपीलांट का परिवार उक्त आराजीयात पर आश्रित है तथा काफी समय से वादी का उक्त भूमि पर कब्जा होने से वादी अपीलांट को उक्त भूमि पर एडवर्स पजेशन प्राप्त हो गया है। प्रतिवादी रेस्पोडेन्ट ने राजस्व रेकॉर्ड मे उक्त आराजी सख्या 791, 792 की किस्म बारानी तृतीय से बदलकर चारागाह दर्ज कर दिया है। आराजी संख्या 793 की किस्म बंजड़ दर्ज कर दी है। उक्त आराजीयात कभी भी चारागाह बंजड़ दर्ज नहीं रही है। वादी अपीलांट विगत 50 वर्षो से उक्त आराजीयात पर काबिज होने के कारण वादग्रस्त आराजीयात का खातेदार हो गया है। किन्तु फिर भी प्रतिवादी रेस्पोडेन्ट उक्त आराजी को राजस्व रेकॉर्ड मे चारागाह व बंजड़ दर्ज कर वादी अपीलांट को बेदखल करने पर आमादा है जिसका प्रतिवादी रेस्पोडेन्ट को कोई अधिकार प्राप्त नही है। अन्त मे वादी अपीलांट को उक्त आराजीयात का एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदार घोषित किये जाने एवं उक्त आराजीयात की किस्म चारागाह व बंजड़ के स्थान पर बारानी तृतीय दर्ज किये जाने का निवेदन किया साथ ही अपीलांट वादी के पक्ष मे प्रतिवादी रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध इस आशय स्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने का निवेदन किया कि वह अपीलांट को उक्त आराजीयात के किसी भाग से बेदखल नहीं करे और न ही कब्जे काश्त मे व्यवधान पैदा करें।

3. उक्त आशय का वादपत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना मे प्रतिवादी रेस्पोडेन्ट ने जरिये पैरोकार सरकार अपस्थित होकर जवाबदावा प्रस्तुत किया गया । उभय पक्षकारान के अभिवचनों के अनुसार तनकीयात कायम की गई। वादी अपीलांट की साक्ष्य ली गई। बहस उभयपक्षकारान सुनी जाकर दिनांक 13.07.2012 को वादी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत वादपत्र खारिज किये जाने की निर्णय व डिक्री पारित की।

4. अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 13.07.2012 से असंतुष्ट होकर अपीलांट वादी की ओर से प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत होने पर अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट प्रतिवादी को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना मे रेस्पोडेन्ट प्रतिवादी की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित हुए। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय का अभिलेख तलब किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया व पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की।

5. दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मेमो मे अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट वादी को सुनवाई व साक्ष्य प्रस्तुत करन का अवसर प्रदान किये बिना ही अपीलांट वादी की ओर से प्रस्तुत वादपत्र खारिज किये जाने का निर्णय पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट वादी की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजो का ध्यानपूर्वक अवलोकन किये बिना ही निर्णय पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने वादी अपीलांट के इस कथन पर कोई ध्यान नहीं दिया कि वादी अपीलांट विवादित आराजीयात पर लगभग 50 वर्षो से काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। वादी अपीलांट का वादग्रस्त आराजीयात पर शांतिपूर्वक कब्जा काश्त हाने के बावजूद प्रतिकूल कब्जा नहीं होना मानकर वादी अपीलांट का वादपत्र खारिज किया है। अन्त मे अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 13.07.2012 को खारिज किये जाने की प्रार्थना की।

6. अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस मे निवेदन किया कि वादी अपीलांट की ओर से खातेदारी घोषणा , इन्द्राज दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा का वादपत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी रेस्पोडेन्ट की ओर से जवाबदावा प्रस्तुत किया गया। उभय पक्षकारान के अभिवचनों के अनुसार अधीनस्थ न्यायलय ने तनकीयात कायम की है। उभय पक्षकारान की बहस सुनी जाकर सभी तनकीयात का विश्लेषण करते हुए तनकीवार गुणावगुण पर निर्णय पारित किया है। विवादित आराजीयात बंजड़ सिवायचक भूमि है। उक्त आराजीयात पर वादी अपीलांट वर्ष 1999–2000 से अतिक्रमी है जिसे प्रतिवर्ष बेदखल किया जाता है। विवादित आराजीयात सिवायचक भूमि दर्ज होने से प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी प्रदान किये जाने की श्रेणी मे नहीं आती हे। विवादित आराजीयात राजकीय भूमि होने से प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी दर्ज नहीं किया जाना मानते हुए अधीनस्थ न्यायालय ने वादी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत वादपत्र खारिज किये जाने का निर्णय पारित किया है जो न्यायोचित होने से प्रस्तुत अपील खारिज किये जाने योग्य है। अन्त मे अपील अपीलांट खारिज की जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 13.07.2012 को यथावत रखे जाने की प्रार्थना की।

7. हमने उभय पक्षकारान के अधिवक्ताओं की बहस पर विधिपूर्ण मनन किया। न्यायालय हाजा व अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली व रेकॉर्ड का गहनता से अवलोकन

किया। प्रदर्श–1 जमाबंदी सम्वत 2059–2062 गांव ढाबा तहसील दीगोद की खाता संख्या 247 की है जिसमे वादग्रस्त आराजी संख्या 791, 792 व अन्य खसरान किस्म चारागाह दर्ज रेकॉर्ड है। प्रदर्श–1 जमाबंदी सम्वत 2059–2062 गांव ढाबा तहसील दीगोद की खाता संख्या 247 की है जिसमे वादग्रस्त आराजी संख्या 791, 792 किस्म चारागाह एवं आराजी संख्या 793 किस्म बंजड़ दर्ज रेकॉर्ड है। अतः वादग्रस्त आराजीयात राजकीय भूमि है जिसके संबंध मे अपीलांट वादी ने अधीनस्थ न्यायालय मे वादपत्र प्रस्तुत कर प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी घोषणा का अनुतोष चाहा है। अपीलांट वादी का यह कथन रहा है कि विवादित आराजीयात की किस्म त्रुटिपूर्ण परिवर्तित की गई है परन्तु उक्त कथन की पुष्टी हेतु अपीलांट वादी ने ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है जिससे यह स्पष्ट हो कि आराजी संख्या 791 व आराजी संख्या 792 की किस्म चारागाह से पूर्व की किस्म बंजड़ दर्ज रही हो अथवा किस्म को त्रुटिपूर्ण परिवर्तित किया गया हो। विवादित आराजीयात राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के तहत प्रतिबंधित भूमियों की श्रेणी मे आती है। वादग्रस्त आराजीयात राजकीय भूमि मे है जिसे प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी मे दर्ज किया जाना विधि सम्मत नही है। हस्तगत प्रकरण मे अधीनस्थ न्यायालय ने कुल आठ तनकीयात कायम की है। जिम्मे वादी तनकी नम्बर 1– आया वादी आराजी ग्राम ढाबा की आराजी संख्या 791 रकबा 0.08 हैक्टेयर, आराजी संख्या 792 रकबा 0.47 हैक्टेयर, आराजी संख्या 793 रकबा 0.73 हैक्टेयर कुल किता 3 रकबा 1. 28 हैक्टेयर पर वादी का पिछले 50 वषो से काबिज काश्त है। जिम्मे वादी तनकी नम्बर 2–आया राजस्व रेकॉर्ड मे प्रतिवादी के अधिकारियों द्वारा उक्त भूमि की किस्म को त्रुटिपूर्वक बारानी तृतीय बदलकर चारागाह दर्ज कर दिया है। जिम्मे वादी तनकी नम्बर 3–आया वादी वादग्रस्त आराजी का एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदार घोषित होने का अधिकारी है। जिम्मे वादी तनकी नम्बर 4– आया वादी वादग्रस्त आराजी की किस्म परिवर्तन कराने का अधिकारी है। जिम्मे वादी तनकी नम्बर 5– आया वादी स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है। जिम्मे प्रतिवादी तनकी नम्बर 6– आया वादी को वादग्रस्त आराजी पर से बेदखल किया जाता है। अतः वादी का एडवर्स पजेशन नहीं होने से वाद काबिज खारिज है। जिम्मे प्रतिवादी तनकी नम्बर 7–आया सिवायचक भूमि पर धारा 88, 89, 188 के तहत खातेदारी नहीं दी जा सकती। अतः दावा काबिल खारिज है। तनकी नम्बर 8–दादरसी । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कायम की गई उक्त सभी तनकीयात का विश्लेषण किया जाकर तनकीवार निर्णय पारित किया गया है, जिससे हम सहमत है। तनकीवार निर्णय को दोहराने की आवश्यकता नहीं है। राजकीय चरागाह भूमि पर प्रतिकूल कब्जे के आधार पर अपीलान्ट को कोई हक अधिकार उत्पन्न नहीं होते। अतः अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट वादी की ओर से प्रस्तुत वादपत्र खारिज किये जाने की जो निर्णय

व डिक्री पारित की है वह विधि सम्मत है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 13.07.2012 से हम सहमत है।

8. उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दीगोद के प्रकरण संख्या 149/2007 मे पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 13.07.2012 यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की सत्यप्रति के साथ अविलम्ब लौटाई जावे।

9. निर्णय आज दिनांक 03.02.2023 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(मनोज कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी ,कोटा

अपील में डिक्री
(आदेश 41 रूल 35, जाप्ता दीवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
बइजलास मनोज कुमार, आर.ए.एस.

अपील संख्या– 2012/454
gcms no- 2012/00109

मोहनलाल पिता हजारीलाल जाति मीणा निवासी ग्राम ढाबा तहसील दीगोद जिला कोटा(राज0)।

– अपीलांट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये भू–धारक तहसीलदार दीगोद तहसील दीगोद जिला कोटा(राज0)।

–रेस्पोडेन्ट

वाद संख्याः 149/2007

मोहनलाल पिता हजारीलाल जाति मीणा निवासी ग्राम ढाबा तहसील दीगोद जिला कोटा(राज0)।

– वादी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये भू–धारक तहसीलदार दीगोद तहसील दीगोद जिला कोटा(राज0)।

–प्रतिवादी

अपील का ज्ञापन

1. **उक्त अपीलार्थी न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दीगोद, जिला कोटा द्वारा वाद सख्या 149/ 2007 में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 13.07.2012 के विरूद्ध उक्त अपील न्यायालय राजस्व अपील**

प्राधिकारी, कोटा में निम्नलिखित कारणों से करता है, अर्थात कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है। अतः उक्त अपील स्वीकार फरमाई जावे।

2. उक्त अपील तारीख 03.02.2023 को बहाजरी अपीलान्ट की ओर से विद्वान् अभिभाषक श्री घनश्याम नागर, एवं रेस्पोडेन्ट ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित होने पर यह आदेश दिया कि अपीलान्ट की उक्त अपील खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 13.07.2012 बहाल रखा जाता है।

3. इन अपील के खर्चे एवं मूल वाद के खर्चे पक्षकारान द्वारा स्वयं वहन किये जाने है।

यह डिक्री आज तारीख 03.02.2023 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई।

मुहर

(मनोज कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा